ग्राम पंचायत शाट, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत शाट विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

(i) प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती तोली देवी	1.4.14 से 21.1.16
2	श्रीमती सोनू देवी	22.1.16 से अद्यतन

(ii) सचिवः–

1	श्री वेद प्रकाश	1.4.14 से 28.7.14
2	श्री कृष्ण चन्द	29.7.14 से 15.6.16
3	श्री वेद प्रकाश	16.6.16 से 8.12.16
4	श्री कृष्ण चन्द	9.12.16 से 18.1.17
5	श्री परमेश्वर देव	19.1.17 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत शाट के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमिततों का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना	–

2	5	दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों के अन्तशेष व अनुदानों की शेष राशियों में भारी अन्तर	8.12
3	8	प्राप्त आय को बिना बैंक में जमा करवाए व्यय का भुगतान तथा मोबाईल टावर का	0.17
4	9	गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव न करना	—
5	11	अनुदान का उपयोग न करना	15.48
6	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	7.39
7	16	स्टील का सम्भावित दुरूपयोग/दुर्विनियोजन करना	0.09

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत शाट, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14.9.17 से 22.9.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 2/15, 8/15 व 3/17 तथा 10/14, 11/15 व 3/17 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत शाट, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश

शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-107 दिनांक 21.9.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत शाट से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत शाट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः—

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः— ग्राम पंचायत शाट, विकास खण्ड कुल्लू द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक संकलित स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति बैंक खातों के अनुसार निम्न प्रकार से हैः—

(परिशिष्ट—1)

(i) बैंक खाता संख 20006006701 (सामान्य)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	925049	1912510	41139	2878698	1204477	1674221
2015—16	1674221	3057732	64119	4796072	2873286	1922786
2016—17	1922786	2145775	83353	4151914	1796127	2355787

(ii) बैंक खाता संख्या 50060655422 (IWMP)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	—	80100	—	80100	—	80100
2015—16	80100	—	1836	81936	78550	3386
2016—17	3386	48060	706	52152	49480	2672

(iii) बैंक खाता संख्या 2216000100402448 (मनरेगा)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	4415.80	43800	247	48462.80	47462.40	1000.40
2015—16	1000.40	—	—	1000.40	—	1000.40
2016—17	1000.40	—	—	1000.40	—	1000.40

4.1 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना व बैंक खातों से मिलान न करनाः—

ग्राम पंचायत शाट की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम—7 (3) व 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम

शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में जमा राशियों का विवरण रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित था तथा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः रोकड़ बहियों में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करना तथा बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होंने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों में जमा राशियों से मिलान करने अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

4.2 मनरेगा बैंक पास बुक को पूर्ण न करवानाः–

पंचायत की बैंक पास बुकों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा की बैंक पास बुक संख्या 2216000100402448 में दिनांक 31.3.15 के पश्चात की प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं करवाई गई थी, जबकि खाते में ₹1000.40 की शेष राशि थी। अतः बैंक पास बुक को पूर्ण करके शेष राशि से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों के अन्तशेष व अनुदानों की शेष राशियों में ₹8.12.लाख का भारी अन्तरः–

ग्राम पंचायत शाट की विभिन्न बैंक खातों में जमा राशियों का दिनांक 31.3.17 के अन्तिम शेष व अनुदानों की दिनांक 31.3.17 के अन्तिम शेष **(परिशिष्ट–4)** मे निम्नविवरणानुसार ₹812430.40 का अन्तर पाया गया। अतः अन्तर की राशि किस–2 मद (Head) की है, की गणना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(1)	31.3.17 को बैंक में जमा राशि	
	(i) खाता संख्या 20006006701	₹2355787
	(ii) खाता संख्या 50060655422	₹2672
	(iii) खाता संख्या 2216000100402448	₹1000.40
	कुल	**₹2359459.40**
(2)	31.3.17 को अनुदान की शेष राशि	₹1547029
(3)	(**परिशिष्ट–4**) के अनुसार अन्तर	₹812430.40

6 स्वःस्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरणः–

ग्राम पंचायत शाट द्वारा प्रस्तुत रोकड़ बहियों के अनुसार ग्राम पंचायत शाट के अवधि 4/14 से 3/17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट 2 (क से ग)** में दिया गया है।

7 निर्धारित सीमा से अधिक नगद राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि (वित्त, बजट लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	हस्तगत राशि (₹)
1	21.9.14 से 25.9.14	7420
2	26.9.14 से 10.11.14	10870
3	11.11.14 से 21.1.15	10970
4	5.2.15 से 4.3.15	20592
5	6.8.15 से 27.11.15	3531
6	28.11.15 से 13.12.15	3491
7	14.12.15	3681
8	5.2.16 से 11.2.16	1881
9	12.2.16 से 29.3.16	1981

8 प्राप्त आय ₹0.17 लाख का बैंक में जमा करवाए बिना व्यय का भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (2) के अनुसार पंचायत की समस्त प्राप्त आय को बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बही व रसीद बुकों की जाँच में पाया गया कि

निम्नविवरणानुसा पंचायत द्वारा प्राप्त आय में से ₹16600 का भुगतान नगद किया गया था, जोकि नियम 4 (2) के अनुसार अनुचित व आपत्तिजनक है। अतः निम्न नगद व्यय भुगतानों के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में प्राप्त आय को नियमानुसार बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही पृ0सं0	दिनांक	रसीद सं0	प्राप्त आय	कुल हस्तगत राशि	व्यय वाउचर सं0	व्यय राशि	भुगतान के बाद हस्तगत राशि (₹)
1	78	5.2.15	238691 से 238700	14122	25092	64/2/2015	4500	20592
2	81	4.3.15	—	—	20592	65, 66 व 67/3/15	8140	12452
3	103	3.12.15	—	—	3681	147/12/15	2000	1681
4	107	27.3.16	—	—	1981	174/3/16	1960	21
						कुल	**₹16600**	

9 गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करने बारेः—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को वर्ष 2012 के पश्चात पूर्ण नहीं किया गया था। जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को दिनांक 31.3.17 तक पूर्ण करके तथा वसूली हेतु शेष राशि की गणना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.1 मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख—रखाव न करने बारेः—

पंचायत के उपलब्ध अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। सचिव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज पत्र संख्या पी0सी0एच/एच ए/8/99 दिनांक 9.11.06 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर से ₹4000 स्थापना शुल्क व ₹2000 प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करती है तथा 5 वर्ष के बाद नवीनीकरण शुल्क में 25**%** की वृद्धि कर सकती है। अतः पंचायत मे मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त रजिस्टर

का रख रखाव सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.3.17 तक वसूली हेतु शेष राशि की गणना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म पर तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014–15 व 2015–16 के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था, जबकि वर्ष 2016–17 के लिए बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में बनाया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को फार्म–11 में तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

11 अनुदान ₹15.48 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–4)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹1547829 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A.Check Register
2	Cheque issue/receipt Register

3	Work Register
4	Stationary Stock Register
5	Bill Register
6	Temporary Advance Register

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹7.39 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ (निविदाएँ आमन्त्रित करना इत्यादि) प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "5"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹738850 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचाकिताओं अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 क्रय सामग्री मूल्य ₹4.32 लाख को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः निम्न विवरणानुसार क्रय सामानों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय वस्तुको नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	रोकड़ बही पृ0सं0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम	वस्तु	राशि (₹)
1	LADA	98/11/15	406/6.11.15	M/S City Computers Kullu	Saler lights No.	120000
2	LADA	98/11/15	शून्य/8.11.15	M/S Ashadeep PvtLtd	Sailing bearing	250000

3	Panchayat Nidhi	103/12/15	128/12.12.15	Hurla M/S B.S. Printer Bhunter	Stationery	2000
4	IWMP	01/8/15	CHS-29277/ 24.9.15	M/S H.P. State Civil Supplies Corporation	Cement	12900
5	IWMP	01/8/15	6448/ 23.10.15	M/S Yub Raj Trader"s Bhuinter	Steel	47520
					कुल	**₹432420**

15 निर्माण कार्य के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्लन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः निम्न विवरणानुसार कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	कार्य का नाम	माह	माह के व्यय राशि (₹)
1	13th FC	नि0 सामुदायिक भवन अटारापेडे नजदीक गाँव धारा	10/14	123100
2	14th FC	नि0 बावडी सरानाहुली शौरन वार्ड नं0 3	3/17	28432
3	मनरेगा	नि0 सिंचाई टैंक रूप सिंह के खेत में गाँव शाट	3/17	20400
4	मनरेगा	नि0 सिंचाई टैंक डीणे राम के खेत में गाँच धारा	3/17	19550

16 **स्टील का सम्भावित दुरूपयोग/दुर्विनियोजनः—**

पंचायत के बिल वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 43 माह 10/2014 बिल संख्या 1591 दिनांक 4.10.14 द्वारा M/S Yub Raj Traders, bhunter से 2600 कि0ग्रा0 स्टील का क्रय खाता नि0 सामुदायिक भवन अठारापेडे नजदीक गाँव धारा के लिए किया गया परन्तु स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0 23 में 2600 कि0ग्रा0 स्टील के स्थान पर 2400 कि0ग्रा0 स्टील की प्रविष्टि दर्ज की गई थी। अतः कम स्टील की मात्रा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए अन्यथा कम दर्ज स्टील की ₹9200 की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 **सोलर लाईटों की खरीद हेतु ₹3.51 लाख की अग्रिम बारेः—**

पंचायत की रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 14, दिनांक 21.3.17 के अनुसार पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 104 माह 3/17 द्वारा सोलर लाईटों की क्रय करने हेतु रसीद संख्या 177, दिनांक 21.3.17 द्वारा ₹351000 की अग्रिम राशि M/S Him Power India Ltd को की गई थी। सोलर लाईटों की खरीद हेतु प्राप्त निविदाएं व तुलानात्मक विवरणी जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थी। अतः अग्रिम राशि प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए क्रय हेतु अपनाई गई प्रक्रिया व प्राप्त निविदाएं जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

18 **मनरेगा के तहत क्रय रेत के बिल जाँच हेतु उपलब्ध न करवानाः—**

रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 51 दिनांक 28.3.17 के अनुसार मनरेगा के तहत क्रय रेत के भुगतान वाउचरों के साथ बिल संलग्न नहीं थे। अतः निम्नविवरणानुसार क्रय रेत के बिल आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही पृ0सं0	दिनांक	वस्तु	वा0सं0	राशि
1	51	28.3.17	रेत	50	7500
2	51	28.3.17	रेत	51	7500
3	51	28.3.17	रेत	52	3750
4	51	28.3.17	रेत	53	3750

5	51	28.3.17	रेत	54	3750
6	52	28.3.17	रेत	55	3750
7	52	28.3.17	रेत	56	3750

19 यात्रा भत्ता बिलों का बिना अनुमोदन के भुगतान करनाः–

पंचायत के व्यय वाचउरों की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 81 माह 3/15 वाउचर संख्या 66 द्वारा सचिव को यात्रा भत्ता बिल ₹2850 का भुगतान किया गया था जबकि सचिव का अवधि 1/2015 से 3/2015 तक का यात्रा प्रोग्राम खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं था। अतः यात्रा प्रोग्राम को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाए बिना भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा यात्रा प्रोग्राम को अब सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 पशु सहायक के मानदेय ₹0.35 लाख का बिना सत्यापित उपस्थिति विवरणी के भुगतानः–

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पशु सहायक को ₹35000 का मानदेय भुगतान किया गया परन्तु व्यय वाउचरों के साथ सत्यापित उपस्थिति विवरणी संलग्न नहीं थी। उपस्थिति विवरणी के बिना किया गया भुगतान अनुचित है। अतः निम्नविवरणानुसार किए गए मानदेय भुगतानों की उपस्थिति विवरणी प्राप्त करके सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**अवधि**	**वा0सं0**	**मानदेय राशि (₹)**
1	73/10/14	1.6.14 से 30.9.14	46/10/14	20000
2	98/11/15	1.7.15 से 30.9.15	100/11/15	15000
			कुल	**₹35000**

21 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

22 **निष्कर्षः–** पंचायत के अभिलेखों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 18/2017–खण्ड–1–591–594 दिनाँक19.01.2018
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत शाट, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046